कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
नगर विकास प्रमंडल–2, गया।

निविदा आमंत्रण सूचना (ई–टेंडरिंग द्वाराhttps://eproc2.bihar.gov.in) सं0–**E-Tender** 01/2021–22

1. कार्य का विवरणः–

ग्रुप सं0	योजना का नाम	प्राक्कलित राषि (रू0 मे)	अग्रधन की राशि (बैंक गारंटी के रुप में)	परिमाण विपत्र का मूल्य(Through online payment)	Bid Processing Fee (Through online payment) (अप्रत्यर्पणीय) (रू0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि (इन्कुलिडिग मोनसून अवधि माह में)
1	नगर परिषद , बोधगया अन्तर्गत कन्वेंषन सेन्टर से साईस सेन्टर, सुजाता वाईपास रोड होते हुए अमवाँ पईन तक नाला निर्माण।	23846490.00	477000.00	10000.00	eproc2 के अनुसार	6 माह

2. विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल–2, गया ।
3. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक–19.01.2022
4. टेंडर कागजात डाउनलोड करने की तिथि (on websitewww.eproc2.bihar.gov.in) : दिनांक 07.02.2022 से 13.02.2022 के 15:00 बजे तक
5. प्री बिड मीटिंग का समय स्थान/तिथि : समय 1:00 बजे, स्थान–कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल–2, गया । दिनांक–08.02.2022
6. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/समय : दिनांक–14.02.2022 के 15:00 बजे तक (on websitehttps://eproc2.bihar.gov.in)
7. तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय : दिनांक–16.02.2022 के 15:30 बजे से (on website https://eproc2.bihar.gov.in)
8. अग्रधन, सभी मूल शपथ पत्र एवं Existing commitment का मूल कागजात एवं अग्रधन की राषि बैंक गारंटी के रुप में (मूल में) जमा करने की अंतिम तिथि/समय एवं स्थान

   दिनांक–16.02.2022 के 15:00 बजे तक

   स्थानः– 1. कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल–2, गया का कार्यालय।
   2. अधीक्षण अभियंता, नगर विकास अंचल, मगध गया
   3. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग, बुडको, पटना का कार्यालय ।
9. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन
10. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को "**Bid Processing Fee**" & **Transaction Processing Fee** निम्न विधि से जमा करना होगाः–
    (i) "Bid Processing Fee" & Transaction Processing Fee is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/debit Card), Net banking, Online Challan, NEFT/RTGS.
    (ii) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."
11. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट https://eproc2.bihar.gov.inअथवा www.prdbihar.gov.inमें देखा जा सकता हैं।

न

12. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में निबधित हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के ही निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेपटेंस प्राप्त होने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन का निर्माण कार्य होगा, तो भवन निर्माण कार्य का निबंधन भी मान्य होगा।

13. दो करोड़ से उपर की राषि की निविदा **SBD (Standard Bid Documents)** के माध्यम से की जायेगी, जिसमें कण्डिका–**10 C, 10 C C** तथा 10 **C A** को विलोपित किया जाता है।

14. ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों का ई–टेन्डरिंग के **Service Provider** के पास पंजीकृत होना होगा जिससे कि उन्हे उपयोगकर्त्ता का नाम **(User ID)** पासवर्ड **(Passoword)** एवं अंकीय हस्ताक्षर **(Digital Signature)** निर्गत की जायेगी। यह उन्हे (https://eproc2.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ई–टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्थ डेस्क निःषुल्क दूरमाष संख्या–18005726571 एवं **eproc2support@bihar.gov.in**, पर सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता हैं।

15. निविदा में भाग लेने हेतु कण्डिका–8 में अंकित अग्रधन की राषि **Offline Mode** में बैंक गारंटी भी कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल–2, गया के पदनाम से प्रतिझिप्त कराने के बाद ही मान्य होगा।

16. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेन संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

17. (1) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यो से वंचित **(debarred)** संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होगें। यदि वे जानबुझकर तथ्य छुपाते हुए निविदा डालते है तो सारी जिम्मेवारी उनकी होगी तथा उनके विरूद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।

(2) निविदा सूचना की अन्य शर्त्तो को पूरा करने के बावजूद किसी संवेदक की दी गयी निविदा बिल्कुल ही मान्य नहीं होगी यदिः–

(क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाले तथ्य समर्पित किये गये है।

(ख) किसी संवेदक का कार्य निषादन का **Record** खराब रहा हो। अर्थात, उन्होंने आवंटित कार्य को अधुरा छोड़ दिया हो, संविदा के शर्त्तो के अनुसार सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो। तथ्यों को छुपाने की जबाबदेही उनकी होगी क्योंकि उनके द्वारा समर्पित कागजात पर ही कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(3) पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदाधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

18. परिमाण विपत्र का मूल्य

(1) उपर्युक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक के online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/debit Card), Net banking, Online Challan, NEFT/RTGS. Payment Mode जो पोर्टल द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

(1) अग्रधन

(क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी। जो न्यूनतम 500 एवं 1000 के गुणक में होगी। जो **Online Mode** एवं **Offline Mode** (बैंक गारंटी के रुप मे भी) जमा करना होगा।

(ख) प्राक्कलित राषि घट–बढ़ सकती है, उसी के अनुरुप अग्रधन की राषि देय होगी।

(ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

(घ) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नही होगा।

(2) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए, जिसे स्वसत्यापित माना जायेगा।

(क) वैध निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।

(ख) साझेदार फार्म/कम्पनी के मामले मे डीड एंव अर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।

(ग) पैन कार्ड की प्रति।

(घ) **G.S.T** निबंधन प्रमाण–पत्र।

(ङ) चरित्र प्रमाण–पत्र।

(3) संवेदक के अधीन लंबित (सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि को **Existing commitment** कार्यो की राशि सहित सूची अपलोड करना है।

(4) घोषणा प्रमाण पत्र (मूल में)/(शपथ पत्र मूल में) (अपलोड) "मैं अद्योहस्ताक्षरी (साफ–साफ बडे अक्षरों मे नाम)........................ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि–

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा **Debar, Blacklisted** एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर किसी कार्य को विखंडित **(Rescind)** नहीं किया गया हैं।

(ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं हैं।

(ड़) संवेदक के पास (i) मिक्सर मशीन, (ii) नोजल भाईब्रेटर, (iii) शटरिंग प्लेट, (iv) वाटर टैंकर, (v) गुण–नियंत्रण उपकरण तथा भवन निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु उपरोक्त क्रमांक (i) से (v) के साथ–साथ एलीभेटर एवं स्टेजिंग पाईप का भी होना आवश्यक है, जो स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेने देने का मूल शपथ पत्र (अपलोडेड) एवं प्रमाण के रूप में उपकरण का स्वामित्व का कागजात एवं यंत्र–संयत्र एवं गुण–नियंत्रण उपकरणों की स्वसत्यापित सूची भी अपलोड करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जाएगा।

(च) बिटुमिन्स पथ के कार्यो में प्रयुक्त होने वाले 60/70, 30/40, 80/100 **Grade Packed** बिटुमिन अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी। जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रीम देय नहीं होगा। बिटुमिन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से ही करना होगा तथा बिटुमिन क्रय के 48 घंटों के अंदर कैशमेमों संबंधित सहायक अभियंता के समकक्ष प्रस्तुत करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा। साथ ही साथ 24 घंटो के अन्दर बिटुमिन की क्वालिटी का जाँच कराना होगा। **BM. SDBC** कार्य के लिए **Hot Mix Plant, Vibratory Roller, Static Roller, Paver Finisher, Fe loader, Tipper** आवश्यक है, जो स्वंय अथवा किराये पर हो सकता है, परन्तु तत्संबंधी प्रमाणक एवं आवश्यक शपथ–पत्र कंडिका (ग) के अनुरूप देना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्त कंडिका 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके उपर विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा। चूँकि संवेदको का निबन्धन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है फलस्वरूप संवेदकों को बिहार **PWD CODE** के बिहार ठीकेदारी निबन्धन नियमावली–2007 के सुसंगत कंडिकाओं के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की जायेगी। यदि यह शर्त्ते संवेदकों को मान्य होगा, तभी वे निविदा डाले।

(छ) अनियोजित अभियंता निविदा देते समय कहाँ से/किस वर्ष (डिग्री/डिप्लोमा) पास किये है तथा वे अब तक अनियोजित है से संबंधित शपथ–पत्र संलग्न करना होगा। निविदा/कार्य आवंटन की प्रक्रिया लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के साथ की जायेगी।

अनियोजित अभियंता के मामले में आवंटित कार्य के विरूद्ध अग्रधन की राशि मात्र 1 प्रतिशत ली जायेगी, जिसमें बैंक गारंटी भी अनुमान्य होगा। जमानत की शेष 9 प्रतिशत राशि उनके चालू विपत्र से कटौती की जायेगी।

(ज) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात **Website** (www.eproc2.bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा, जो स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए।

(5) प्रतिशत दर निविदा

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्द में अंकित दरों में विसंगति होने पर शब्द में अंकित दर की मान्यता दी जायेगी।

(ख) पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या 447(S) दिनांक 16.01.2020 –सह– पठित ज्ञापांक 448(S) दिनांक 16.01.2020 के द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा को तत्काल समाप्त कर दी गयी है। परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान निर्गत अधिसूचना के अनुसार ली जाएगी।

19. सशर्त्त निविदा मान्य नहीं होगी।

20. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यो को या किसी कार्य के किन्ही अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

21. निविदा निष्पादन

(1) यदि निविदा की कंडिका संख्या 18 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

(2) सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्त्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।

(3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दर वार्त्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

22. <u>एकरारनामा</u>

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 07 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र SBD पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

(ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट उसकी आकार–प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।

<u>अन्य शर्त्ते</u>

उपरोक्त शर्त्तों के अतिरिक्त परिमाण विपत्र (BOQ) की राशि 50 लाख से अधिक होने की स्थिति में निविदादाताओं को निम्नांकित शर्त्तों का भी अनुपालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी

23. 50 लाख से अधिक की राशि का परिमाण विपत्र होने पर निविदादाताओं को एक वित्तीय बीड तथा एक तकनीकी बीड निविदा के साथ **Upload** करना होगा। तकनीकी बीड मे सफल निविदाकारों का ही वित्तीय बीड खोला जाएगा। तकनीकी बीड में जो निविदाकार असफल होगें उनका वित्तीय बीड नहीं खोला जाएगा।

24. 50 लाख के अधिक के निविदा में संवेदक द्वारा विगत तीन वर्षो में (निविदा तिथि के पूर्ववर्त्ती माह तक) किसी एक वर्ष निविदा मूल्य के समतुल्य भुगतान प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा निविदा मूल्य के एक तिहाई मूल्य के बराबर समरूप कार्य का भुगतान प्रमाण–पत्र देना होगा जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। जिसमें IT, ST, Royality, Net Payment, Gross Payment होगा।

25. 50 लाख से अधिक मूल्य के निविदा में संवेदक को गुण नियंत्रण जाँच हेतु स्थलीय गुण नियंत्रण उपकरणों का स्वामित्व होना चाहिए अथवा किराये पर प्राप्त करने की स्थिति में किराये पर देने वाले एवं लेने वाले का मूल में शपथ पत्र अपलोड करना होगा। साथ ही गुण नियंत्रण/यंत्र–संयत्र का स्वामित्व संबंधी कागजात भी अपलोड करना होगा।

26. 50 लाख के अधिक के मूल्य के निविदा में संवेदक के पास कम–से–कम एक डिप्लोमा (सिविल) एवं एक डिग्री (सिविल) अभियन्ता होना चाहिए। तत्तसम्बंधी उनका शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। शपथ–पत्र मूल में नियोजित एवं नियोजनकर्त्ता दोनो पक्षों का होना चाहिए। एक डिग्री–डिप्लोमा अभियंता भिन्न–भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजित माना जायेगा। यदि एक ही डिग्री–डिप्लोमा अभियंता भिन्न–भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजन के शपथ–पत्र देगें तो उनकी निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।

27. (क) निविदा के निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

(ख) प्राक्कलित राशि घट–बढ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिर्वतन किया जा सकता हैं।

28. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदको को उनके कार्य मे त्रुटि सुधार (**Defect Liability Period**) की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 36 माह (तीन वर्ष) होगी। तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी।

29. E-Tendering में कार्यालय द्वारा download करने मे संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता हैं।

30. तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करे जितना निविदा शर्तों की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमत्रण सूचना के कंडिकाओं को पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल–2, गया से संपर्क कर सकते हैं।

31. In the unlikely event of the server for www.eproc2.bihar.gov.in being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving time stipulated in the original NIT.

32. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission & they should ensure that work file is uploaded. If they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability/ visibility of the scanned & uploaded file by them.

33. The bidders must use MS Office- 2003 version. File size should be less than 5MB and should be in M.S. word, M.S. Excel, PDF and JPEG Formats.

34. No claim shall be entertained on account of disruption of internet service being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last hour's technical snags.

consent to an extension of the period of validity.

36. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.

37. The bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial bid etc., in the online standard formats given for respective tenders in e-Procurement website (www.eproc2.bihar.gov.in) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., in support of their eligibility criteria / technical bids and other certificate /documents in the e-Procurement website. The bidder shall sign on the supporting statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness /authenticity.

38. Corrigendum/ Addendum, if any, will be published on the website itself.

39. अनियोजित अभियंता के लिए कर्णांकित कार्यों हेतु–

(a) पथ निर्माण विभाग के प्र0–6/नियम–03–03/2001–1399(s) दिनांक–31.01.2008 द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(b) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि उन्होंने 3.50 करोड़ का कार्य से कम का कार्य अभी तक किया है।

(c) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि किस वर्ष डिग्री/डिप्लोमा पास किया है तथा अबतक अनियोजित है।

18/01/2012

कार्यपालक अभियंता
नगर विकास प्रमंडल–2, गया।